रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012026-269056
CG-DL-E-02012026-269056

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 02] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 1, 2026/पौष 11, 1947
No. 02] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 2026/PAUSHA 11, 1947

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2025

का.आ. 2(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 286 (अ), तारीख 7 अप्रैल, 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधरण, भाग II, खंड 3, उपखंड **(i), तारीख** 7 अप्रैल, 2022 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मैसर्स जियोटेक्निकल माइनिंग सोल्यूशंस को 'प्रवर्ग ख खोज अभिकरण' के अधीन अधिसूचित किया है;

2. और अपनी प्रारंभिक प्रत्यायन अवधि पूरी होने पर, मैसर्स जियोटेक्निकल माइनिंग सॉल्यूशंस ने तारीख 6 मार्च, 2025 को भारतीय गुणवत्ता परिषद के राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड से पुन: प्रत्यायन अभिप्राप्त कर लिया है;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के खान मंत्रालय के आदेश संख्यांक एम.VI -16/15/2021-खान VI तारीख 12 अगस्त, 2021 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजन के लिए जारी प्रत्यायित निजी खोज अभिकरणों की अधिसूचना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त मार्गदर्शक सिद्धांत कहा गया है) के

अनुसार, मैसर्स जियोटेक्निकल माइनिंग सोल्यूशंस को उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के उक्त दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए 'प्रवर्ग ख खोज अभिकरण' के रूप में अधिसूचित करती है।

4. अभिकरण, प्रत्यायित निजी खोज अभिकरणों की अधिसूचनाओं के लिए उक्त मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन में पूर्वेक्षण संक्रियाएं करेगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी और अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या उसके अवसान तक या अनुदत्त प्रत्यायन की पर्यवसान तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, विधिमान्य रहेगी।

[फा. सं. एम.VI-16/22/2022-खान VI-भाग (1)]

दिनेश माहुर, संयुक्त सचिव

टिप्पण- मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 286(अ), तारीख 7 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2025

S.O. 2(E).— Whereas, in exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government notified M/s Geotechnical Mining Solutions under 'Category B Exploration Agencies', *vide* notification number G.S.R. 286 (E), dated the 7th April, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 7th April, 2022;

2. And whereas, upon completion of its initial accreditation period, M/s Geotechnical Mining Solutions has obtained re-accreditation from the National Accreditation Board for Education and Training of the Quality Council of India on the 6th March, 2025;

3. Now therefore, in exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the said Act and in accordance with the guidelines (hereinafter referred to as the said guidelines) for notification of accredited private exploration agencies issued by the Government of India in the Ministry of Mines *vide* Order No. M.VI-16/15/2021-Mines VI, dated the 12thAugust, 2021 for the purpose of the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby notifies M/s Geotechnical Mining Solutions as 'Category B Exploration Agencies' for the purposes of the said second proviso to sub-section (1) of section 4 of the said Act.

4. The agency shall carry out prospecting operations in compliance with the conditions specified in the said guidelines for notifications of accredited private exploration agencies.

5. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette and shall remain valid for a period of five years from the date of notification or till expiry or termination of the accreditation granted, whichever is earlier.

[F. No. M.VI-16/22/2022-Mines VI-Pt(1)]

DINESH MAHUR, Jt. Secy.

Note.— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 286 (E), dated the 7th April, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA